

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2908]
No. 2908]

नई दिल्ली, शुक्रवार, 27 दिसम्बर, 2013/पौष 6, 1935
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 2013/PAUSHA 6, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3883(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 723 (अ), तारीख 15 मार्च, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में तारीख 15 मार्च, 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,

जिला “जलगांव” से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, कॉलम 2 में, प्रविष्टि “उपविभागीय अधिकारी, विभाग—पाचोरा, पाचोरा” के स्थान पर प्रविष्टि “उपविभागीय अधिकारी, चालीसगांव विभाग, चालीसगांव” प्रतिस्थापित की जाएगी।

[फा.सं. भाराराप्रा/पीआईयू-एयूआर/रारा-211/एयूआर-धुले/एलए-जलगांव/2013]

माया प्रकाश, उप-सचिव

पाद टिप्पणी :—मूल अधिसूचना का.आ. 723 (अ), तारीख 15 मार्च, 2013 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 15 मार्च, 2013 में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3883(E).— In exercise of the powers conferred by the clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) the Central Government hereby makes the following amendment in the notifications of the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways, No. S.O. 723 (E) dated the 15th March, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 15th March, 2013, namely :—

In the Schedule to the said notification :—

Against serial number 2 relating to District Jalgaon, under column (2), for the entry "Sub Divisional Officer, Division Pachora, Pachora", The entry "Sub Divisional Officer, Chalisgaon Division, Chalisgaon", shall be substituted.

[F. No. NHAI/PIU-AUR/NH-211/AUR-DHULE/LA-Jalgaon/2013]

MAYA PARKASH, Dy. Secy.

Foot Note :— The principal notification was published *vide* No. S.O. 723 (E) dated the 15th March, 2013 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 15th March, 2013.